

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं० 09/उपा०कीट०अनु० -24/2012

/कृ० पटना, दिनांक

.2014

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

श्री हरे कृष्ण कुमार,
मेसर्स ठाकर केमिकल्स लि०,
द्वारा-किसान घर, अगमकुँआ, पहाड़ी रोड,
पटना-07

विषय : कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-7 दिनांक 29.07.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2015 को कार्यालय (बिक्री) अनुज्ञप्ति नामित करते हुए गोदाम के लिए नया अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं सहायक कृषि निदेशक (पौ० सं०) सर्वेलेन्स, मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के तहत कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-7 दिनांक 29.07.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2015 को कार्यालय की अनुज्ञप्ति नामित करते हुए कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के नियम 10 (3) के आलोक में भंडारण हेतु नया अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।

2-नये अनुज्ञप्ति के भंडारण का पता मेसर्स ठाकर केमिकल्स लि०, H/O श्री श्रवण कुमार, S/O श्री शिव प्रसाद, मोहल्ला- अगमकुँआ, पहाड़ी रोड, पटना-07 है।

3-कीटनाशी भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-122 दिनांक 13.01.2014 मूल रूप में संलग्न है। यह अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। इन अनुज्ञप्ति की वैद्यता विषयांकित अनुज्ञप्ति की वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक रहेगी।

3-शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 211

/कृ०, पटना, दिनांक 13-01-2014

प्रतिलिपि:- संयुक्त कृषि निदेशक (पौ० सं०) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।